न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 204/2020
3. उनवान : सरकार जरिये थानाधिकारी कानोता, पुलिस थाना कानोता

बनाम

1. श्री नितिन गुप्ता पुत्र श्री रामबाबू गुप्ता R/O 4 ख 25 शास्त्री नगर, हाउसिंग बोर्ड, PS भट्टा बस्ती जयपुर
2. श्री राजकुमार गुप्ता उर्फ राजू पुत्र श्री बृजमोहन गुप्ता निवासी गोनेर केनरा बैंक के पीछे, बस स्टैण्ड गोनेर, थाना शिवदासपुरा जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 10.10.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) श्री कैलाश दत्त शर्मा अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी थानाधिकारी कानोता पुलिस थाना कानोता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 19.01.2011 को कूलवाल फ्लोर मिल, जगदम्बा कोलोनी, पालडी मीणा, जयपुर पर शिकायत की जांच करने पर मौके पर महिन्द्रा पिकअप नंबर RJ-14-GA-4516 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले गेहूं के आटे के 200 बैग एवं उक्त वाहन को जब्त किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण के सन्दर्भ में कोई सन्तोषप्रद जवाब एवं वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश दत्त शर्मा ने उपस्थिति दी। दिनांक 08.02.2011 को माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा जब्त वाहन के जमानती मुचलके पर मोचन आदेश जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित किया गया है कि जब्तशुदा बारदाना बाजार में खुला मिलता है, जिसमें एफ.सी.आई. के मार्के छपे रहते हैं। केवल कट्टों पर छपे मार्के होने से उसमें रखी वस्तु को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नहीं माना जा सकता है। तत्पश्चात प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 10.10.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 19.01.2011 को जब्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले गेहूं के आटे का बिक्री हेतु अवैध भण्डारण किया जा रहा था। अप्रार्थी की ओर से जब्त वाहन एवं गेहूं के आटे के संबंध में कोई साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा बिना किसी वैध बिल–परमिट के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं की कालाबाजारी के उद्देश्य से अवैध परिवहन व भण्डारण किया गया था, जो कि सामग्री खरीद के मूल स्थान राजकुमार गुप्ता से खरीद के पिकअप में भरकर लाया जाना सिद्ध हुआ। पुलिस अनुसंधान में राशन के कट्टे राशन डीलर के पुत्र द्वारा लोड कराकर 11 रु. प्रति किलो के हिसाब से बेचना सामने आने पर यह बात पुष्ट होती है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में जब्तशुदा 200 आटे के कट्टे व उसके अवैध परिवहन में काम ली जा रही महिन्द्रा पिकअप नंबर RJ-14-GA-4516 को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर ग्रामीण को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर

अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर